राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमाकः–लेखा/विविध/2019/ दिनाक .

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन राजस्थान।

विषय :–विशेष उददेश्य (योजनाओ) के लिए खोले गये बैंक ख़ातों में से डोरमेट बैंक खातों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक 1203–1350 दिनांक 25.06.2019 एवं स्मरण पत्र–प्रथम क्रमांक 1450 दिनांक 02.07.2019 एवं स्मरण पत्र-2 दिनांक 15.7.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सदर्भित पत्रों के माध्यम से आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संचालित विशेष उददेश्य (योजनाओ) के लिए खोले गये बैंक खातों में से डोरमेट बैंक खातों में जो राशि अवशेष है, को अविलम्ब राजकोष में जमा करवाते हुए इस पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में निर्धारित प्रपत्र में इकजाई संकलित सूचना भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त क्रम में संयुक्त निदेशक, जोन उदयपुर एवं बीकानेर द्वारा आदिनांक तक सूचना अप्राप्त है एवं शेष जोन द्वारा प्रेषित सूचनाओं में अवशिष्ट राशि को राजकोष में जमा करवाए जाने का अभाव है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जोन कार्यालय एवं अधीन कार्यालयों के डोरमेंट बैक खातों में जो राशि अवशिष्ट है, को वित्त (बजट अनुभाग) का परिपत्र क्रमांक प 8 (22) वित्त–1 (1)/आ.व्य./2000/पार्ट–2 जयपुर दिनांक 26.04.2005 में अंकित प्रकियानुसार राजकोष में जमा करवाकर जोन की इकजाई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को 05 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक.–लेखा/विविध/2019/ 2098 दिनांक .24-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.–

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ इकाईयों की उक्त वाछित सूचना संबंधित जोन को आवश्यक रूप से अविलम्ब भिजवायें।
2. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ इकाईयों की उक्त वांछित सूचना सबधित जोन को आवश्यक रूप से अविलम्ब भिजवायें।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

24/7/19

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

C:\Users\Administrator\Desktop\Letter-1.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (बजट अनुभाग) विभाग

क्रमांक प.8(22)वित्त–1(1)आ.व्य./2000 पार्ट–II जयपुर, दिनांक : 26/4/05

परिपत्र

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि गत वर्षों की अवशेष राशि को कतिपय विभागों द्वारा सही बजट शीर्ष में जमा न कराया जाकर चालू वर्ष में पुनः व्यय शीर्ष में (माईनस) जमा कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कुछ प्रकरणों में व्यय ऋणात्मक भी हो जाते है एवं ऐसे बजट शीर्षों में भी राशि जमा करा दी जाती है जो वर्तमान में प्रचलन में ही नहीं है। महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक रिपोर्ट (ए.ए.डी.)एस. 2/के 1044/2004–05/ए–347 दिनांक 28.1.2005 एवं रिपोर्ट (ए.ए.डी.)एस.2/के 1044/3176 दिनांक 21.3.2005 द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर उपयोग में न ली गयी अवशेष राशि (Unspent balance) को वापिस राजकोष में जमा कराने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(क) राजस्व व्यय के बाबत् –

1. वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित राशि को यदि उसी वित्तीय वर्ष में वापिस जमा कराई जाती है, तो वह राशि उसी मद में (माईनस) जमा कराई जावेगी, जिस मद से आहरित की गई है।
2. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अवशेष राशि को जिस व्यय शीर्ष से राशि आहरित की गई थी उसके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा करना चाहिये, लेकिन ऐसे व्यय शीर्ष जिनके तत्संबंधी राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं हैं उस स्थिति में राशि मद "0075–800–(01) अन्य विविध प्राप्तियां" मद में जमा करायी जावे।
3. वेतन आदि के अधिक भुगतान यदि चालान से जमा कराया जाता है तो उसी मद में जमा कराया जायेगा, जिस मद से आहरित किया गया था।

(ख) पूंजीगत व्यय बाबत् –

पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वापस जमा राशि पूर्णतया अवशेष राशि, विनियोजन (Dis-investment) की राशि, हिस्सा पूंजी की वापसी, कार्य के विरूद्ध अधिक भुगतान की राशि आदि का